Email Copy

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

MEMO

No. 15082 / II-13-1/2025

Bilaspur, dated 01 August, 2025

To,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
आ.क्र. 2081/25
दिनांक 02.AUG.2025
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

The Principal District & Sessions Judge,
(1) Bastar at Jagdalpur (2) Bilaspur (3) Durg
(4) Raigarh (5) Raipur (6) Rajnandgaon (7) Surguja at Ambikapur
(8) Dakshin Bastar at Dantewara (9) Jashpur at Jashpurnagar
(10) Kawardha (11) Korba (12) Dhamtari (13) Mahasamund
(14) Koria at Baikunthpur (15) Uttar Bastar at Kanker
(16) Janjgir-Champa (17) Baloda-Bazar (18) Balod
(19) Bemetara (20) Surajpur (21) Kondagaon, (22) Mungeli,
(23) Balrampur at Ramanujganj, Chhattisgarh.

Subject: - Request to upload the advertisement of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur for recruitment to the post of "Contingency Paid Employee", in the website of your District Court.

Enclosing herewith a copy of Advertisement for recruitment to the post of "Contingency Paid Employee", advertised by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, you are requested to get it be uploaded in the website of your District Court and also affix the same in the Notice Board.

Further, you are requested to send a copy of said advertisement to the O/o Collector of your District with a request to affix the same in their Notice Boards, for wide publicity.

Encl.: As above.

01.8.25

(Maneesh Kumar Thakur)
Registrar General

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विज्ञापन

–पद का नाम–

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(कार्य :– सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट)

विज्ञापन क्रमांक 03/2025 **दिनांक 01/08/2025**

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि –23/08/2025 संध्या 5.00 बजे तक

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना में **"आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्य :– सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट)"** के पद की भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

पद का नाम	**आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्य :– सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट)**	
वेतनमान	कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन	
पदों की कुल संख्या	34	
वर्गवार पदों का विवरण	अनारक्षित – 17 (05 पद महिला) अनुसूचित जाति – 06 (01 पद महिला) अनुसूचित जनजाति – 07 (02 पद महिला) अन्य पिछड़ा वर्ग – 04 (01 पद महिला)	कुल रिक्तियों में से 02 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित) OA, OL, LV, HH, OH (Except Chowkidar), Acid attack victim, Dwarfism, Leprosy Cured, Autism
शैक्षणिक योग्यता	**किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। 8वीं से अधिक योग्यता धारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।**	

Abbreviation :- OA - One Arm, OL - One Leg, BL - Both Leg, OAL - One Arm One Leg, LV - Low Vision, HH - Hearing Impaired, B - Blind, OH - Orthopaedically impaired."

नोट :– 1. पद की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

2. पदों के संबंध में विज्ञापन/भर्ती तथा नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन

S.L.P. (C) No. 19668/2022 द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

3. मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक, जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किये जाएगें, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

4. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।

5. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हों।

6. ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरूद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा।

7. **आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिये गये निर्धारित प्रारूप में अपना "शपथ–पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है) –**

 (1) सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5/–, 10/– 20/– अथवा 50/– रूपये के स्टाम्प पर जो भी सुविधानुसार उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 (3) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

 (4) शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरूद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर उसके विरूद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

8. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

<u>अन्य शर्तें :–</u>

HDS

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

2. दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। (केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी)

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:–

 1. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
 2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष (केवल ऐसी महिलाऐं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हों)
 3. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष।

 परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5. आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जाएगा।

6. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

7. एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे।

8. वह किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

9. वह किसी नैतिक धृष्टता (Moral turpitude) हेतु दोषी न ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले [बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में

आने वाले अपराध तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण] लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

11. प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज (यथा– जन्म/ आयु प्रमाण पत्र, कक्षा– 8 वीं प्रमाण पत्र), जाति, निवास एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **"आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,"** लिखा हो तथा लिफाफे के बांई ओर विज्ञापन कमांक 03/2025 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो एवं **"रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पिन– 495220"** को संबोधित हो, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के गेट कमांक – 02 में रखे गये **"ड्रॉप बॉक्स"** में **अंतिम तिथि 23/08/2025 की संध्या 05.00 बजे** तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

12. केवल ऐसे आवेदक जो किसी शासकीय सेवा में सेवारत् हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता (Employer) के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के जारी होने के बाद का हो, सहित **"रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पिन–495220"** को संबोधित लिफाफा **"ड्रॉप बॉक्स"** अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

13. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

14. **आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट) के लिए एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा जिसे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के रूप में परिभाषित किया गया है।**

15. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

16. आवेदक, आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर ले। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

17. नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी आवेदन पत्र को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।

18. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी/सब–कमेटी द्वारा सम्पन्न की जाएगी। कमेटी/सब–कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

19. आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चयन कौशल परीक्षा (Skill Test) के माध्यम से किया जाएगा।

20. नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी/सब–कमेटी द्वारा सम्पन्न की जावेगी। इस कमेटी/सब–कमेटी को चयन प्रकिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापित पदों की संख्या से 100 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपयुक्त आवेदकों की छंटाई के उद्देश्य से चयन प्रकिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छंटाई की जा सकेगी। यह छंटाई पद के योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जा सकती है।

21. अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षा (Skill Test) में प्राप्त अंक के आधार पर प्रावीण्य सूची (Merit List) बनाई जाएगी।

22. कौशल परीक्षा (Skill Test) की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाईट **https://highcourt.cg.gov.in** पर अपलोड किया जाएगा तथा कौशल परीक्षा (Skill Test) की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। इस हेतु प्रवेश पत्र भी वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा जिसे आवेदक डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे, जो उनकी परीक्षा के लिए वैध/अधिकृत प्रवेश पत्र होगा। **किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप में कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।**

23. किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा।

24. कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह (योग्य) मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह (अयोग्य) पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

25. **आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा एवं उनकी नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।

26. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

27. प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी

जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

28. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया/कौशल परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

29. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् **"सूचना का अधिकार अधिनियम"** के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरिक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

30. यह विज्ञापन "छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम 2017" के अध्यधीन है।

उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य होने पर ही अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करें।
संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इस उच्च न्यायालय के वेबसाईट **https://highcourt.cg.gov.in** पर उपलब्ध है।

01.8.25

(मनीष कुमार ठाकुर)
रजिस्ट्रार जनरल

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन क्रमांक 03/2025 **दिनांक 01/08/2025**

आवेदित पद का नामः– "आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी"

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
 (श्री/श्रीमती/कु.)
 (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

स्वप्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

2. पिता/पति का पूरा नाम
3. जन्मतिथि
4. आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में ☐ ☐ ☐
 वर्ष माह दिन
5. लिंग [महिला / पुरूष / तृतीय लिंग (Transgender Persons)]
6. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं अथवा नहीं (स्पष्ट उल्लेख करें).....
 (यदि है तो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, अथवा नहींपंजीयन कमांक
 (यदि है तो रोजगार कार्यालय में पंजीयन का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता (संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	कक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	प्रतिशत

9. **शासकीय सेवक (स्थायी अथवा अस्थायी)**.....(स्पष्ट उल्लेख करें).....

 यदि है तो आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से प्रेषित करें अथवा विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात् वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें
10. **आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु–**
 क्या कोई अनुभव है अथवा नहीं
 (यदि है तो स्पष्ट उल्लेख करें तथा स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. क्या आवेदक दिव्यांग है, हॉ/नहीं दिव्यांगता का प्रतिशत.....

(यदि है तो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12. वर्ग (जो लागू हो)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य

(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) की छायाप्रति संलग्न करें),

13. क्या आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज हुआ है/लंबित है/गिरफ्तारी हुई है/सजा हुई है, हॉ/नहीं(यदि हॉ तो स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण दें)

.....

14. क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है, हॉ/नहीं(यदि हॉ तो स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण दें)

.....

15. क्या आवेदक को उच्च न्यायालय या किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से अयोग्य (disqualified) अथवा प्रतिबंधित (banned) किया गया है, हॉ/नहीं(यदि हॉ तो स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण दें)

.....

16. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

.....

.....

.....

17. स्थायी पता

.....

.....

.....

18. संलग्नकों की सूची–

1. 2.
3. 4.
5.

घोषणा पत्र

मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैनें अपनी शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही–सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

स्थान –
दिनांक –

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम)

शपथ–पत्र का प्रारूप

.....

।। शपथ–पत्र ।।

मैं (शपथकर्ता का नाम).....
पिता/पति..... जन्मतिथि.....वर्ग.....
निवासी..... जिला..... का हूँ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमाँक–03/2025 में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ:–

1. यह कि, मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है। आठवीं से अधिक (उच्च योग्यता) मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है।

2. मेरे आठवीं के अंकसूची में मेरा प्रतिशत अथवा ग्रेड अथवा सी.जी.पी.ए. है।

3. यह कि, मैंने आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया हूँ एवं मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।

4. यह कि, उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरूद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम :–

<u>सत्यापन</u>

मैं, एतद्द्वारा यह शपथ करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु क्रमाँक–01 से 04 तक में दी गयी समस्त जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार पूर्ण सत्य है।

दिनांकः–

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम :–

नोटः– <u>शपथ–पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें।</u> शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन शैक्षणिक संस्थानों से कराया जाएगा। यदि शपथ–पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्यापन उपरांत या अन्य किसी स्तर पर असत्य पाये जाते हैं तब असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कठोर आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।"